



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 531 राँची, मंगलवार,

15 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

7 अगस्त, 2020

संख्या- 5/आरोप-1-129/2017 का०-3911-- श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-संतरविदास नगर “उ0प्र0”) के अंचल अधिकारी, मेराल, गढ़वा के पद पर कार्यावधि से संबंधित उपायुक्त, गढ़वा के ज्ञापांक-382/स्था0, दिनांक 30.05.2017 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री शुक्ला दिनांक 25.05.2017 से बिना अनुमति के जिला मुख्यालय से अनुपस्थित हैं। इनकी अनुपस्थिति के कारण विकास कार्यों की प्रगति बाधित है एवं राजस्व संबंधी कार्यों के संपादन में कठिनाई हो रही है। इनकी अनुपस्थिति से प्रखण्ड में विधि-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इनका यह कृत्य कर्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-10155, दिनांक 25.09.2017 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रांक-10931, दिनांक 30.10.2017 द्वारा श्री शुक्ला से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री शुक्ला के पत्रांक-1764/रा0, दिनांक 08.11.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री शुक्ला द्वारा अपने स्पष्टीकरण में पत्नी की बीमारी के वजह से दिनांक 26.05.2017 से 06.06.2017 तक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अनुरोध अपने पत्रांक-428/रा0, दिनांक 25.05.2017 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा

से करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में साक्ष्य के रूप में अपनी पत्नी की बीमारी से संबंधित चिकित्सा पर्ची संलग्न की गई।

श्री शुक्ला के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-456, दिनांक 16.01.2018 द्वारा उपायुक्त, गढ़वा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-109/स्था0, दिनांक 19.03.2020 द्वारा श्री शुक्ला के स्पष्टीकरण पर मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके स्पष्टीकरण पर सहमति प्रतिवेदित की गई है।

श्री शुक्ला के विरुद्ध प्राप्त आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त उपायुक्त, गढ़वा के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री प्रदीप कुमार शुक्ला, झा0प्र0से0, तत्कालीन अंचल अधिकारी, मेराल, गढ़वा, सम्प्रति- अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
